यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोट (रायपुर) भीलवाड़ा

मुकदमा नम्बरः—72 / 2021A (2021 / 379) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—आवड़सिंह पिता ईश्वरदान सिहं चारण निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भवंरसिंह पिता ईश्वरदान सिहं चारण निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—आईदानसिंह पिता हरदानसिंह चारण निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 24.11.2021

आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान प्रार्थीगण आवड़सिंह, भवंरसिंह पिता ईश्वरदान सिहं चारण एवं आईदानसिंह पिता हरदानसिंह चारण निवासी छातोल के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्ष 2016 में अभियान के दौरान हमारी संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 438 रकबा 0.30 है0 एवं आराजी संख्या 902 / 438 रकबा 0.30 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसका सहमति से विभाजन कराने पर आराजी संख्या 438 रकबा 0.30 है0 भूमि आईदान पुत्र हरदान चारण के कब्जे मे थी ओर आराजी संख्या 902 / 438 रकबा 0.30 है0 भूमि आवड़सिंह, भंवरसिंह पिता ईश्वरदान सिंह चारण के कब्जे मे थी किन्तु विभाजन के समय मौका स्थिति समझ नही पाने से कब्जे के विपरीत खसरा नम्बर 902 / 438 रकबा 0.30 है0 भूमि आईदान पुत्र हरदान चारण के नाम व आराजी संख्या 438 रकबा 0.30 है0 भूमि आवड़सिंह, भंवरसिंह पिता ईश्वरदान सिंह चारण के नाम दर्ज हो गई जिसको कब्जे के अनुसार हमारे खाते में दर्ज कराने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगणो के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायपुर से रेकार्ड और मौके की रिपोर्ट ली गई जिस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में दर्शाया कि आराजी संख्या 438 रकबा 0.30 है0 भूमि आवड़सिंह, भंवरसिंह पिता ईश्वरदानसिंह के नाम दर्ज है किन्तु मौके पर इसी तरह आराजी संख्या 902 / 438 रकबा 0.30 है0 पर कब्जा आराजी संख्या 902 / 438

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.30 है0 भूमि आईदान पुत्र हरदान चारण के नाम पर दर्ज है किन्तु मौके पर कब्जा आराजी संख्या 438 रकबा 0.30 है0 भूमि पर है जिसके आधार पर प्रकरण विनिमय का होने से विनिमय किया जाता है तो किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नही होने से विनिमय करने की अभिंशषा की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

मैंने प्रार्थना [illegible] र की रिपोर्ट एवं पक्षकारान से पुछताछ कर विस्तृत जांच करने प [illegible] व्यक्त करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये। विभाजन के वक्त तत्कालीन समय में खातेदारान द्वारा मौका स्थिति नही समझने से भूमि एक दुसरे के कब्जे के विपरीत दर्ज हो गई और मौके पर दोनो पक्ष निर्विवाद रूप से काबिज है, जिसके आधार पर भूमि विनिमय कर आराजी संख्या 438 रकबा 0.30 है0 भूमि आवड़सिंह, भवंरसिंह पिता ईश्वरदानसिंह के बजाय आईदान पुत्र हरदान चारण के एवं आराजी संख्या 902/438 रकबा 0.30 है0 भूमि आईदान पुत्र हरदान चारण के बजाय आवड़सिंह, भवंरसिंह पिता ईश्वरदानसिंह के नाम दर्ज की जाने में किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नही होकर तहसीलदार रायपुर द्वारा भूमि विनिमय करने की अभिंशषा की गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि विनिमय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:—आदेश—:

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट के खाता संख्या 75 में अकिंत आराजी संख्या 438 रकबा 0.30 है0 भूमि आवड़सिंह, भवंरसिंह पिता ईश्वरदानसिंह के बजाय आईदान पुत्र हरदान चारण के नाम एवं आराजी संख्या 902/438 रकबा 0.30 है0 भूमि आईदान पुत्र हरदान चारण के बजाय आवड़सिंह, भवंरसिंह पिता ईश्वरदानसिंह के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग केम्प में लिखाया जाकर सुनाया गया।

24.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
शिविर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोट (रायपुर) भीलवाड़ा

मुकदमा नम्बरः—72/2021A (2021/379) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—आवड़सिंह पिता ईश्वरदान सिंह चारण निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भवंरसिंह पिता ईश्वरदान सिंह चारण निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

1—आईदानसिंह पिता हरदानसिंह चारण निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट के खाता संख्या 75 में अकिंत आराजी संख्या 438 रकबा 0.30 है0 भूमि आवड़सिंह, भवंरसिंह पिता ईश्वरदानसिंह के बजाय आईदान पुत्र हरदान चारण के नाम एवं आराजी संख्या 902/438 रकबा 0.30 है0 भूमि आईदान पुत्र हरदान चारण के बजाय आवड़सिंह, भवंरसिंह पिता ईश्वरदानसिंह के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

24.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
शिविर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

14/2/22

जिला भीलवाड़ा
क्र./15 24/11/21
(1) LL.R
आईदेरान